

राजस्थान सरकार
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

विज्ञप्ति

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2010-11 में प्रवेश हेतु इच्छुक जनजाति छात्र/छात्राओं से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। इन आवासीय विद्यालयों में शिक्षा, भोजन, आवास, पाठ्य पुस्तके, स्टेशनरी, विद्यालय पौशाक/फीस एवं अन्य आवश्यक सहायक सामग्री निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। कक्षावार रिक्तियों की स्थिति निम्नतालिका में दर्शाई जा रही है। रिक्तियों में कमी वृद्धि संभव है।

आवासीय विद्यालयवार रिक्तियों की स्थिति

क्र. स.	कक्षा	आवासीय विद्यालय बालक								आवासीय विद्यालय बालिका			
		अनुसूचित क्षेत्र						माडा क्षेत्र		सहरिया क्षेत्र	अनू. क्षेत्र	माडा क्षेत्र	सहरिया क्षेत्र
		कोटडा (उदयपुर)	प्रतापगढ़ (प्रतापगढ़)	कुशलगढ़ (बासवाडा)	आबुरोड (सिरोही)	खैरवाड (उदयपुर)	सीमलवाडा (डुगरपुर)	झालरापाटन (झालावाड)	महुआ (दौसा)	शाहबाद (बारा)	सलूमबर (उदयपुर)	निवाई (टांक)	किशनगंज (बारा)
1	6	50	50	50	50	50	50	30	30	50	50	50	30
2	7	34	28	18	19	02	17	0	01	09	25	6	6
3	8	37	28	6	39	08	13	02	01	11	35	05	0
4	9	41	23	21	27	12	12	0	08	14	25	04	0
5	10	6	22	27	11	12	5	0	0	08	15	0	03
6	11	14	16	8	15	10	10	0	0	16	25	10	0
7	12	15	18	16	9	12	16	0	0	21	21	04	0
योग		197	185	146	170	106	123	32	129	40	187	79	39

कक्षा :- 11 वी की रिक्तिया 10 वी बोर्ड के परीक्षा परिणाम के अनुसार परिवर्तनशील रहेगी।

आवेदन पत्र मय पात्रता की शर्तें किसी भी आवासीय विद्यालय से दिनांक 10.06.2010 से 16.06.2010 तक निःशुल्क प्राप्त किये जा सकते हैं। भरे हुए आवेदन पत्र प्रवेश हेतु इच्छुक आवासीय विद्यालय में दिनांक 19.06.2010 तक जमा कराये जा सकते हैं। प्रवेश हेतु वरियता सूची दिनांक 26.06.2010 को संबंधित आवासीय विद्यालयों में चस्पा की जावेगी। चयनित छात्र/छात्राओं को दिनांक 30.06.2010 तक प्रवेश लेना अनिवार्य है। अन्यथा प्रतीक्षा सूची में चयनित छात्र/छात्राओं को प्रवेश दे दिया जावेगा। प्रवेश संबंधित आवेदन पत्र एवं शर्तें विभागीय Website www.tad.rajasthan.gov.in से भी डाउनलोड की जा सकती है।

अतिरिक्त आयुक्त
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग
उदयपुर

प्रवेश हेतु पात्रता की शर्तें :-

1. आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत उत्तीर्ण छात्र -छात्रा अगली कक्षा में स्वतः प्रवेश के पात्र होंगे।
2. राज्य सरकार द्वारा प्रवेश हेतु घोषित नीति के अनुसार संबंधित आवासीय विद्यालय में क्षेत्रवार लागू आरक्षण के अनुसार ही प्रवेश दिया जावेगा।
3. राजस्थान राज्य के मूल निवासी ही छात्र -छात्राओं को आवासीय विद्यालयों में प्रवेश दिया जाएगा। (मूल निवास प्रमाण-पत्र संलग्न करें।)
4. आवासीय विद्यालयों में प्रवेश हेतु वही छात्र-छात्रा आवेदन के पात्र होंगे जिन्होंने पूर्व कक्षा राजकीय विद्यालय अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों से उत्तीर्ण की हो।
5. अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों से उत्तीर्ण छात्र-छात्रा भी उक्त आवासीय विद्यालय में प्रवेश के पात्र होंगे।
6. माता - पिता आयकरदाता नही हो, इसके लिये माता-पिता की वार्षिक आय का प्रमाण -पत्र संलग्न करना होगा।
7. आवासीय विद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र एवं प्रवेश नियम की प्रति विज्ञप्ति प्रकाशित होने की दिनांक से निम्नांकित स्थानों पर उपलब्ध रहेगी। विज्ञप्ति के साथ मुद्रित आवेदन पत्र के पारूप को भी टंकित करवाकर उपयोग में लिया जा सकता है। प्राप्त की जा सकती है। भरे हुए आवेदन पत्र पुनः इन्ही स्थानों पर जमा होंगे।

राजस्थान सरकार
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

नाम आवासीय विद्यालय जिला में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र

(शैक्षणिक सत्र 2010-11)

प्रधानाचार्य,
आवासीय विद्यालय
जिला (राज.)

छाया चित्र

- 1 छात्र का नाम
- 2 जन्म तिथि अंको में (शब्दों में)
- 3 प्रवेश जिस कक्षा में लेना है
- 4 (अ) माता-पिता का नाम पिता का नाम
माता का नाम
- (ब) माता-पिता का व्यवसाय
- (स) वार्षिक आय रु (वार्षिक आय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे।
- 5 आयकर दाता है (हां/ना)
- 6 स्थायी पता
- 7 स्थानीय अभिभावक का नाम व पता
- 8 छात्र/छात्रा जिस जनजाति से संबंधित है
- 9 मूल निवास का विवरण ग्राम
तहसील जिला
- 10 कक्षा एवं विद्यालय का नाम जहा से कक्षा
छात्र/छात्रा ने गत परिक्षा उत्तीर्ण की विद्यालय का नाम
(अंकतालिका की सत्यापित प्रति सलंगन करे) प्राप्तांक का प्रतिशत

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा दिया गया सम्पूर्ण विवरण सत्य है तथा मेरे पुत्र/पुत्री को प्रवेश मिलने पर मैं विद्यालय के सभी नियमों का पालन करूंगा/करूंगी। मैं यह भलीभांति समझता/ समझती हूँ कि मेरे पुत्र/पुत्री प्रवेश हेतु आवेदन करना ही विद्यालय के लिए प्रवेश की बाध्यता नहीं है।

आशार्थी छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर

माता/पिता के हस्ताक्षर

श्रीपुत्र का प्रवेश कार्य विद्यालय अभिलेख से सत्यापित किया गया है तथा आवेदन पत्र अग्रिम कार्यवाही हेतु अग्रेषित किया जाता है।

संस्था प्रधान के हस्ताक्षर

आवासीय विद्यालय के प्रयोग हेतु

श्री (छात्र/छात्रा का नाम) पिता श्री का प्राप्तांक प्रतिशत हैं,
तथा कक्षा की चयन सूची में इनका वरीयता क्रमांक हैं।

अतः तदनुसार प्रवेश समिति की अनुशंसा के आधार पर इन्हें प्रवेश दिया जाता है।

प्रधानाचार्य

जनजाति आवासीय विद्यालय

जूते चप्पल बनियान अन्डरवीयर एवं पोषाक का नाप (साईज) निम्न प्रारूप में देवें :-

जूते न.	चप्पल न.	बनीयान नं.	अण्डरवियर नं.	स्वेटर न.	सलवार/पेट	कुर्ता/शर्ट